

FROM No.III

फर्क अहकाम

(नियम 26)

अदालत... उपरोक्त अधिपति... मुकाम... रायपुर

द्वारा... बनारस... नाम... लालचूराम वर्मा

किस्म मुकदमा... 210... नं... 130/2022 सन... 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/3/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>श्री लालचूराम वर्मा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>11/05/22</u> को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) रायपुर</p>
11/05/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरोक्त/विप्रार्थी/वादी के नोटिस बर्क में जरिये रजिस्टर्ड एडमिशन पत्र पेश किये जिनको 30 दिन के अंदर 5 मिनट अंदर पेश हो चुका है जिनकी कोर्ट के डेड लाइन उपरोक्त नहीं हुआ, न्यायालय समझ लेता है कि प्रावज लगाई गई कोर्ट में प्रावज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी/वादी स्वयं आउटरी कोर्ट के डेड लाइन अंदर उपरोक्त नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी/वादी के विरुद्ध एडमिशन का कार्य वादी अमल में लाई जाली है किताब वास्ते वास्तु पत्रावली दिनांक - 23/05/2022 को पेश हो</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) रायपुर जिला - बाड़मेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड
2-57
प्रार्थी
1. हीराराम पुत्र मुरारम बागरी
जाति जाट, निवासी
पटवर्तन

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/ 757

प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 23/05/2022

विप्रार्थीगण

1. हीराराम पुत्र प्रभुराम वगैरा 03,
जाति जाट, निवासी धतरवालों का सरा,
पटवार मण्डल छीतर का पार,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. लाभुराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा 06,
जाति जाट, निवासी धतरवालों का सरा,
पटवार मण्डल छीतर का पार,
तहसील ~~बायतु~~ (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 130/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - धतरवालों का सरा, पटवार मण्डल - छीतर का पार, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 409/198 रकबा 12.3049 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिभूत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर

दिनांक : 23/05/2022

क्रमांक : वाद/2022/752-756

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का छीतर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हीराराम पुत्र प्रभुराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री लाभुराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा 06,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर